म0प्र0 राज्य वि0 पप्पू उर्फ लड्डू
समरी प्रकरण क्रमांक 1498/2022
सी0एन0आर0–एमपी/6605–005803/2022
फाईलिंग नंबर समरी/3018/2022
फाईलिंग दिनांक– 12/10/2022

(निर्णय)

(आज दिनांक 12/10/22 को घोषित)

अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण मे संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाकर अभियुक्त को आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर अभियुक्त ने बिना किसी दबाव के आरोपित अपराध उसके द्वारा किया जाना स्वीकार किया है। अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक होना पाया जाकर अभियुक्त की स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) का अपराध प्रमाणित पाया जाकर अभियुक्त को उक्त अपराध के आरोप मे दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

दोषसिद्ध को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के संबंध में विचार किया गया। अपराध की प्रकृति जिसमें अभियुक्त द्वारा शराब बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के अवैधिक रूप से रखी गई, ऐसे मामले में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने पर समाज में नकारात्मक संदेश जायेगा एवं ऐसे अपराध को बढ़ावा प्राप्त होगा। अतः परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

अभियुक्त के विरूद्ध इसी प्रकृति के अपराध की कोई पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं है। प्रकरण की परिस्थितियो व अभियुक्त द्वारा की गई स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति को ध्यान मे रखते हुए अभियुक्त को 500/- रूपये के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा करने के व्यतिक्रम मे अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

अभियुक्त अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान एक भी दिवस अभिरक्षा मे नही रहा है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 का प्रमाण पत्र अवधि निरंक कर बनाया जावे।

प्रकरण मे जप्तशुदा 06 लीटर महुआ की शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये। अपील होने की दशा मे माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

स्थान देवसर
दिनांक 12/10/2022

मेरे श्रुतलेखन पर टंकित किया गया।

अभ्युषी शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0